



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859  
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 58 / SEIAA/2022

Date: 7/4/22

प्रति,

खनिज अधिकारी  
जिला सागर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 9037/2022 - परियोजना प्रस्तावक श्री रंजीत सिंह राजपूत आत्मज श्री गुलाब सिंह राजपूत, निवासी ग्राम जेरई, तहसील एवं जिला सागर (म.प्र.) फर्शी पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2714 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 181/2, 181/3, रकबा 1.150 हेक्टेयर, ग्राम रतनपुर, तहसील शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC समिति द्वारा 557वी बैठक दिनांक 03.03.2022 में अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 713 वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने होना परिलक्षित है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला खनिज अधिकारी, सागर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की अद्यतन स्थिति की जानकारी 15 दिवस में सिया कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 59  
प्रतिलिपि:-

/SEIAA/2022

दिनांक -

7/4/22

1. श्री रंजीत सिंह राजपूत आत्मज श्री गुलाब सिंह राजपूत, निवासी ग्राम जेरई, तहसील एवं जिला सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ।

प्रभारी अधिकारी